

उत्तर प्रदेश शासन  
नियुक्ति अनुभाग-6  
संख्या-977/दो-6-2018-53(28)/2001  
लखनऊ: दिनांक : 31 मई, 2018  
कार्यालय जाप

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली-2011 यथासंशोधित-2014 में निहित प्राविधानों के अधीन श्री बृहस्पति शर्मा, से0नि0, आई0ए0एस0 को उनकी पत्नी के भिन्न-भिन्न अवधियों में भिन्न-भिन्न चिकित्सक/चिकित्सालय से निम्नांकित विवरणानुसार कराये गये उपचार पर हुए व्यय के सापेक्ष कुल रू0-19,470/- (रूपये उन्नीस हजार चार सौ सत्तर मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0 सं0	रोगी का नाम श्री/श्रीमती	उपचार अवधि	चिकित्सक/चिकित्सालय का नाम	दावे की धनराशि (रूपयों में)	प्रतिहस्ताक्षरित धनराशि (रूपयों में)
1	2	3	4	5	6
1.	रेबा शर्मा	16.03.18 से 11.04.18 तक	डा0 राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, लखनऊ	3,850/-	3,470/-
2.	-तदैव-	16.03.2018 को	-तदैव-	16,000/-	16,000/-
			योग-	19850/-	19,470/-

2- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-62 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृति हित लाभ-01-सिविल-800-अन्य व्यय-04-राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा राज्य सरकार के अधीन सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों व उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता-0402-दिनांक 08 नवम्बर, 2000 के पश्चात् सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों व उनके आश्रितों की विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता-49-चिकित्सा व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3- श्री बृहस्पति शर्मा का देना बैंक, घोषपुरा शाखा, लखनऊ में खाता संख्या-084010000868 तथा आई0एफ0एस0 कोड-BKDN0720840 है। इनका पी0पी0ओ0 संख्या-9829/91 है तथा यह कोषागार जवाहर भवन, लखनऊ से पेंशन आहरित करते हैं।

अरविन्द मोहन चित्रांशी  
विशेष सचिव।


.....2

संख्या-977(1)/दो-6-2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम , उ०प्र०, इलाहाबाद।
  - 2- नियुक्ति(लेखा) को दो प्रतियों में मूल बिल/बाउचर्स सहित।
  - 3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
  - 4- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1
  - 5- श्री बृहस्पति शर्मा, से०नि०, आई०ए०एस०, 20/233, इन्दिरानगर, लखनऊ।
  - 6- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।
- 7- कम्प्यूटर प्रोग्रामर, नियुक्ति विभाग, उ०प्र० शासन।

आज्ञा से,

  
( कमला सिंह यादव )  
अनुसचिव।  
↓

उत्तर प्रदेश शासन  
नियुक्ति अनुभाग-6  
संख्या-1035/दो-6-2018-53(38)/2003  
लखनऊ : दिनांक : 31 मई, 2018

**कार्यालय-ज्ञाप**

श्री राज्यपाल अखिल भारतीय सेवाएं (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली-1954 व चिकित्सा विभाग के शासनादेश संख्या-3791/5-7-91-1072/91, दिनांक 02 जुलाई, 1991 सपठित शासनादेश संख्या-2206/पाँच-6-14-1(जी)/14, दिनांक 19.09.2014 में निहित प्राविधानों के अधीन श्री हेमन्त राव आई0ए0एस0 को आपातकालीन परिस्थितियों में दिनांक 10.01.2018 से 22.03.2018 के मध्य स्वयं के उपचारार्थ 05 वाउचर्स के अनुसार क्रीत औषधियों पर हुए व्यय के सापेक्ष एक तिथि में रू0-750/- की सीमा के अधीन अनुमन्य धनराशि कुल रू0-1,077/- (रूपये एक हजार सतहत्तर मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के उसी लेखाशीर्षक की मानक मद "49-चिकित्सा व्यय" के नामे डाला जायेगा, जिससे श्री हेमन्त राव, आई0ए0एस0 का वेतन आहरित किया जाता है।


अरविन्द मोहन चित्रांशी  
विशेष सचिव।

संख्या-1035(1)/दो-6-2018-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- इरला चेक अनुभाग को दो प्रतियों में मूल चिकित्सा वाउचर्स सहित।
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
- 4- श्री हेमन्त राव, आई0ए0एस0, प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, 30प्र0 शासन, लखनऊ।
- 5- कम्प्यूटर प्रोग्रामर, नियुक्ति विभाग/अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

संलग्नक-यथोक्त

आज्ञा से,  
  
(कमला सिंह यादव)  
अनु सचिव।

3